प्रश्न सं. [क्र. 5902]

तारांकित प्रश्न क्र. - 5902 परिशिष्ट 1/2 (11)

मान. विधा. श्री राम दांगोरे, सदन में उत्तर देने का दि.- 23/3/21

पेज -01 से 02 (1)

संबंधी विशिष्टताएं या अन्य अतिरिक्त विशिष्टताएं उपलब्ध हों, स्थापित कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी किसी एक उपभोक्ता के संयोजन अथवा उपभोक्ताओं के संयोजनों के समूह के लिये प्रति–परीक्षण मापयन्त्र (check meter) की स्थापना हेतु भी अधिकृत होगा। यदि प्रति–परीक्षण मापयन्त्र व बिलिंग मापयन्त्र में दर्ज खपत में अंतर स्वीकृत सीमाओं से अधिक हो तो अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को विधिवत लिखित सूचना देने के उपरान्त, बिलिंग मापयन्त्रों की स्थापना खम्भे (पोल) पर या खम्भे पर स्थापित स्तम्भ बक्सों (pillar boxes) पर कर सकेगा।

मापयन्त्र तथा कट–आऊट/एमसीबी/सीबी का प्रदाय और स्थापना (Supply and Installation of Meters and Cut-outs/MCBs/CBs) :

8.6 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को नवीन विद्युत संयोजन प्रदान करते समय अथवा आवश्यकतानुसार किसी अन्य समय पर भी मापयन्त्र (मीटर), मापयन्त्र उपकरण (metering equipments) एवं कट–आऊट/एमसीबी/सीबी/भार–नियन्त्रक (load-limiter) उपलब्ध कराये जायेंगे। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मापयन्त्र तथा मापयन्त्र उपकरणों को सही कार्यस्थिति में रखा जाएगा और उपभोक्ता द्वारा इनके मासिक किराये का भुगतान मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने तथा उपयोग किये गये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण प्रथम), विनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट अनुसार किया जाएगा।

8.7 मापयन्त्र (मीटर) सामान्यतः परिसर में सीमा–दीवार (बाउंड्रीवाल) के अन्दर भवन की बाहरी दीवार पर इस प्रकार स्थापित किया जाएगा ताकि यह मौसम संबंधी प्राकृतिक कारकों जैसे कि हवा, पानी, धूप इत्यादि से सुरक्षित रहे तथा मापयन्त्र वाचक (मीटर रीडर) द्वारा इसका वाचन (रीडिंग) बाहर से ही किया जा सके तथा मापयन्त्र वाचन के लिये परिसर, यदि वह विद्यमान है तो उसे ऐसे प्रयोजन हेतु उसका ताला खोलने की आवश्यकता न हो। विशेष परिस्थिति में, अनुज्ञप्तिधारी मापयन्त्र को उपरोक्त वर्णित स्थान से भिन्न स्थान पर स्थापित कर सकता है तथापि इसकी अनुमति लिखित रूप से सहायक यंत्री या उससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी। उपभोक्ता, विद्युत प्रदाय के निर्धारित बिन्दु से अपनी आंतरिक तन्तुपथ प्रणाली (wiring) की स्थापना करेगा। मापयन्त्र बक्से (meter box) को सामान्यतः ऐसी ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा ताकि मापयन्त्र वाचन फलक/प्रदर्शन वातायन (meter reading/counter display window) को मापयन्त्र वाचक द्वारा खड़े रहकर आसानी से पढ़ा जा सके। निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में मापयन्त्र तथा कट–आऊट/एमसीबी और उच्चदाब/अति उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में मापयन्त्र, सर्किट ब्रेकर तथा केबल सहित अन्य सहयोगी उपकरण की स्थापना अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय बिन्दु पर की जाएगी।

8.8 सभी नवीन मापयन्त्रों (meters) की स्थापना छेड़–छाड़ रोधी मापयन्त्र बक्से (tamper proof meter box) में की जाएगी।

8.9 अर्द्ध–स्थाई प्रकार के कच्चे मकानों में अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि मापयन्त्र (मीटर) को दीवार पर सुचारू रूप से स्थापित किया जा सके और मापयन्त्र वाचक (मीटर रीडर) की मापयन्त्र तक की पहुंच सुगम हो। यदि उपभोक्ता मापयन्त्र स्थापित करने के लिये अच्छी गुणवत्ता की दीवार उपलब्ध

नहीं करा पाता हो तो अनुज्ञप्तिधारी मापयन्त्र को खंभे (पोल) पर या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लगाये गये स्तम्भ–बक्से (pillar box) में स्थापित कर सकेगा जिसका व्यय उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी स्थापना का उचित रूप से भू–योजन (अर्थिंग) किया जाना भी सुनिश्चित करेगा।

8.10 ऐसे प्रकरणों में, जहां मापयन्त्र परिसर के भीतर स्थापित किया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी के मापयन्त्र तथा अन्य उपकरण, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय करने हेतु स्थापित किये गये तन्तुपथ (लाईन) के परिसर में प्रवेश बिन्दु के निकट स्थापित किये जाएंगे ताकि विद्युत मापन इकाई (Metering unit) परिसर के बाहर से दृष्टव्य हो एवं मापयन्त्र तथा विद्युत मापन कक्ष (Metering Cubical) के लिये स्वतंत्र एवं निर्बाध प्रवेश उपलब्ध कराया जा सके। जहां कहीं आवश्यक हो वहां उपभोक्ता अपने स्वयं के व्यय पर अनुज्ञप्तिधारी के अनुमोदित किये गये रूपांकन अनुसार उसके (अनुज्ञप्तिधारी के) टर्मिनल उच्चदाब स्विच गियर तथा उपकरणों को स्थापित करने के लिये मौसम रोधी एवं तालायुक्त कमरा/अहाता उपलब्ध करायेगा एवं इसका रखरखाव भी करेगा।

8.11 जब कभी भी कोई नया मापयन्त्र (मीटर)/मापयन्त्र उपकरण (metering equipment) (इसे बदलने या फिर नए संयोजन के प्रयोजन से) स्थापित किया जाए तो दोनों पक्षों, यथा अनुज्ञप्तिधारी तथा उपभोक्ता की ओर से उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मापयन्त्र को ठीक प्रकार से सील किया जाएगा। सील लगाये जाने के कार्य के प्रत्यक्षदर्शी दोनों पक्षों के प्रतिनिधि अपना पूरा नाम लिखकर निर्धारित दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करेंगे। इस मापयन्त्र या मापयन्त्र उपकरण की सील, नाम पट्टिकाओं और उनमें खुदे हुए विशिष्ट अंक या चिन्ह किसी भी स्थिति में उपभोक्ता द्वारा या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तोड़े, मिटाए, परिवर्तित या बाधित नहीं किये जाएंगे, जब तक दोनों पक्षों के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित न हों।

8.12 मापयन्त्र (मीटर), कट–आउट, एमसीबी/सीबी आदि, जो अनुज्ञप्तिधारी के परिसर में स्थापित किये गये हों, को छोड़कर, उपभोक्ता के परिसर में स्थापित किये गये मापयन्त्रों, कट–आउटों, एमसीबी/सीबी आदि की सुरक्षित अभिरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं उपभोक्ता का होगा।

8.13 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके प्रचालन क्षेत्र में स्थापित किये गये मापयन्त्रों (मीटरों) के समस्त प्रकारों की सूची वर्ष में एक बार आयोग को प्रस्तुत की जाएगी। इस जानकारी में प्रत्येक प्रकार के मापयन्त्र के मापदण्ड का विशेष विवरण और कौन से प्रकार के मापयन्त्र कितनी संख्या में उपयोग में लाये जा रहे हैं तथा कितने मापयन्त्र भंडार में विद्यमान हैं, का विवरण भी शामिल किया जाएगा ।

मापयन्त्रों का परीक्षण (Testing of Meters) :

8.14 अनुज्ञप्तिधारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि मापयन्त्र (मीटर) की स्थापना के पूर्व इसकी परिशुद्धता से अपने को संतुष्ट कर ले और इस प्रयोजन हेतु वह मापयन्त्र का परीक्षण भी कर सकेगा।

अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल